

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 485]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 दिसम्बर 2019—अग्रहायण 27, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. एफ ए-3-26-2019-1-पांच-(93).—की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर इस विभाग अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-26-2019-1-पांच (53) दिनांक 29 जून, 2019, में निम्नलिखित और और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना के, द्वितीय पैरा में, प्रथम परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“परंतु जुलाई, 2019 से सितंबर, 2019 तक की तिमाही या उसके भाग के लिए उक्त प्ररूप जीएसटी सीएमपी-08 में स्वनिर्धारित कर के संदाय के ब्यौरे अंतर्विष्ट करते हुए विवरण देने की देय तारीख 22 अक्टूबर, 2019 होगी.”

2. यह अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 दिसम्बर 2019

क्र. एफ ए-3-26-2019-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय के आदेश क्रमांक एफ ए-3-26-2019-1-पांच (93), दिनांक 18 दिसम्बर 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 18th December 2019

No. F A-3-26-2019-1-V-(93).—In exercise of the powers conferred by Section 148 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in this department notification No. F A-3-26-2019-1-V-(53) dated 29th June, 2019, namely:—

In the said notification, in paragraph 2, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the due date furnishing the statement containing the details of payment of self-assessed tax in said FORM GST CMP-08, for the quarter July, 2019 to September, 2019, or part thereof, shall be the 22nd day of October, 2019.”.

2. This notification shall deemed to have come into effect from the 18th day of October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.